(30)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4063–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–11–2015 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प, जिला खरगोन प्रकरण कमांक 94/बी.105/48ख/2013–14.

1– उमेश पिता स्व. रामाकान्त खोड़े
2– श्रीमती अंजली पति उमेश खोड़े
निवासीगण विश्वसखा खोड़े नगर
बिस्टान रोड, खरगोन
तहसील व जिला खरगो .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन के प्रतिनिधि
पंजीयक (स्टाम्प) खरगोन
2– उप पंजीयक (स्टाम्प) खरगोन .....अनावेदकगण

श्री हेमन्त खोड़े, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री हेमन्त मुंगी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/5/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–11–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक कमांक 1 द्वारा खरगोन नगर पालिका सीमा में वार्ड कमांक 13 विश्वसखा खोड़े कॉलौनी, खरगोन स्थित भूखाण्ड कमांक 8 क्षेत्रफल 269.79 वर्गमीटर, जिस पर निर्मित भवन क्षेत्रफल 198.09 वर्गमीटर को आवेदिका

कमांक 2 को सहस्वामित्व प्रदान करने का उल्लेख करते हुए दिनांक 23–8–2010 को दस्तावेज निष्पादित किया जाकर प्रश्नाधीन सम्पत्ति का बाजार मूल्य रूपये 25,11,000/– दर्शाते हुए मुद्रांक शुल्क रूपये 38,000/– एवं पंजीयन शुल्क रूपये 10,190/– चुकायी गई । तदोपरांत महालेखाकार ग्वालियर के निरीक्षण दल की ऑडिट आक्षेप के आधार पर उप पंजीयक खरगोन द्वारा अधिनियम की धार 48–ख के अंतर्गत प्रकरण कलेक्टर आफ स्टामप को प्रेषित की गई । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 94/बी. 105/48ख/2013–14 दर्ज कर दिनांक 28–11–2015 को आदेश पारित कर कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 37330/– एवं अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत शास्ति रूपये 5000/– कुल रूपये 42330/– कोषालय में जमा करने के आदेश दिये गये । क्लेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प का आदेश न्याय, नीति, विधि विधान एवं साक्ष्य के अंतर्गत विधिमान्य नहीं है । इस आधार पर कहा गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार रहित है । यह भी कहा गया कि महालेखाकार के निरीक्षण दल एवं उप पंजीयक द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लिखित अथवा मौखिक दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, फिर भी कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा मात्र शिकायत के आधार पर आलोच्य आदेश पारित करने में वैधानिक त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा आवेदकगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी प्रमाण को अनदेखा कर अपने आदेश में त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकाले गये हैं, क्योंकि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी प्रमाण यह दर्शाते हैं कि प्रश्नाधीन दस्तावेज मात्र सहस्वामित्व विलेख है, न कि दान पत्र । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि सहस्वामित्व विलेख निष्पादित करते समय सहस्वामित्वग्रीता को सम्पूर्ण सम्पत्ति में सम्पूर्ण हक अन्तरित नहीं होता है । ऐसी स्थिति में बाजार मूल्य के 1/2 मूल्य पर ही शुल्क देय होता है, और तत्समय आलोच्य दस्तावेज जब पंजीयन करने के समय उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, तब उप पंजीयक द्वारा प्रश्नाधीन सम्पत्ति का बाजार मूल्य निर्धारित करते हुए सहस्वामित्व विलेख के आधार पर विधिवत मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क लिया जाकर प्रश्नाधीन दस्तावेज का पंजीयन किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि मूल्यांकन त्रुटि के कारण शासन को राजस्व की हानि हुई है तो उसके लिए आवेदकगण

उत्तरदायी नहीं है, उसके लिए संबंधित उप पंजीयक उत्तरदायी है । उनके द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प का आदेश निरस्त का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण शासन की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा पंजीयन के समय प्रश्नाधीन दस्तावेज को सहस्वामित्व विलेख दर्शाकर पंजीयन करा लिया गया है । ऐसी स्थिति में कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा ऑडिट आक्षेप के आधार पर प्रकरण दर्ज कर कमी मुद्रांक शुल्क वसूलने एवं शास्ति अधिरोपित करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विस्तार से विवेचना करते हुए आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन सम्पत्ति में उमेश पिता रामाकान्त खोड़े एवं श्रीमती अंजलि पति उमेश खोड़े का नाम संयुक्त रूप से दर्ज है । इससे यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन विलेख स्वामित्व विलेख है, और कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा सह स्वामित्व विलेख मानकर मुद्रांक शुल्क अधिरोपित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–11–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर